

*The motion was adopted.*

(ii) Central Silk Board.

THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P.A.  
SANGMA):

I beg to move :

“That in pursuance of sub-section (3)(c) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of the Central Silk Board subject to the other provisions of the said Act.”

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

“That in pursuance of sub-section (3)(c) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, four members from among themselves to serve as members of the Central Silk Board, subject to the other provisions of the said Act.”

*The motion was adopted.*

12.49 hrs.

EMIGRATION BILL—Contd.

MR. DEPUTY SPEAKER : We now take up further consideration of the Emigration Bill. The time allotted was three hours. We have already taken two hours and twenty one minutes. I would appeal to the Members to be as brief as possible in their speeches so that we can complete it after lunch.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कल कह रहा था कि हमारे भारत के कोई 9, 10 लाख लोग 112 विदेशों में जाकर काम कर रहे हैं और भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाकर इस देश को दे रहे हैं लेकिन उनकी जो आज वहां दुर्दशा है, उसकी जितनी जांच पड़ताल हमारी सरकार को करनी चाहिये, उतनी उसने नहीं की है।

हमारे भारत के सैकड़ों लोग विदेशों में

यहां से ट्रैबल एजेंट भेज देते हैं और वहां जाकर वह बिना काम के घोखेबाजी में छोड़ दिये जाते हैं।

THE MINISTER OF PARLIAMEN-  
TARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS  
AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) :  
We may forego lunch to that Members may  
get more time to speak.

MR. DEPUTY SPEAKER : The  
Minister of Parliamentary Affairs, says that  
Members are very particular to speak. He  
suggests that we may for go lunch.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna):  
In Budget session you do like that. But now  
this suggestion should not be accepted. The  
employees are also there. They have to take  
their lunch.

MR. DEPUTY SPEAKER : All right.  
If the suggestion is not acceptable to you,  
lunch hour will be there.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : वहां पर वे  
कस्टमज अधिकारियों या एयरलाइन्ज द्वारा  
पकड़ लिये जाते हैं। बुडापेस्ट में भारत के कई  
लोग फंसे हुए हैं। घोखेबाज ट्रेवल एजेंट इस  
तरह घोखा-घड़ी करके करोड़ों रुपयों का मुनाफा  
कमा रहे हैं। भारत सरकार ने 152 ट्रेवल  
एजेंट्सियों को लाइसेंस दिए हैं। उन्होंने अपने  
एजेंट देशभर में फैला रखे हैं, जो भोली-भाली  
जनता को राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लंबर, इलेक्ट्रीशन  
आदि की नौकरी दिलाने का प्रलोभन देते हैं।  
उन्होंने झूठे ट्रेड सर्टिफिकेट दिलवाने का  
बिजनेस भी कर रखा है। नौकरी के हिसाब  
से वे हर व्यक्ति से दस, पन्द्रह या बीस हजार  
रुपए वसूल करते हैं। लोगों को ठगने के कई  
उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं।

एयर इंडिया के अधिकारी भी ट्रेवल  
एजेंटों से सांठ-गांठ रखते हैं और एजेंटों के  
साथ मिलकर लोगों को विदेशों में भेज देते हैं,  
भले ही वहां पर उन्हें कई समस्याओं का सामना  
करना पड़े। हमारे लोगों को पासपोर्ट और  
बीसा में कमी रहने के कारण कठिनाइयों का  
सामना करना पड़ता है। नकली बीसा दिलाने